


(268)

(392)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मणि डल म० प्र० गवा लियर. कैम्प रोडा ₹५० प्र०

R 2595-I/12



वीरेन्द्र स्टॉ तनय श्री ललन स्टॉ निवासी ग्राम तुकीं तह सील अमरपाटन

₹५०

हाइ रामनगर जिला सतना ₹५० प्र०

--- आवेदक

26.7.2012 द्वारा

बनाम

1. ईपाल स्टॉ तनय उपैन्द्र पाल स्टॉ निवासी ग्राम तुकीं तह सील
रामनगर जिला सतना ₹५० प्र०

2. मध्यप्रदेश शासन

--- अपार्वद कागज

उचिकलांडी अग्रिमा
चुक्कीदार छुट्टुना
शीरा. दि. २५.०७.२०१२

/2595/12

निगरानी चिरम आज्ञा श्री तह सीलदार तह०
रामनगर जिला सतना ₹५० प्र० बाबत राजराज
प्रकरण क्रमांक ९८/१२/२०११-२०१२ आदेश दि.
२०.६.२०१२

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मृ -
राजस्व संहिता १९५९ ₹५०

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित हैः -

१। वे कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा चिरम एवं प्रक्रिया के विपरीत हैं।

२। वे कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के विपरीत किए गये सीमांकन की

परिकल्पना

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. २५७५-८७/१२ जिला सूलगढ़

वीरेंड्र सिंह विरुद्ध सूर्योदाय सिंह

1	2	3
१७-१०-१९	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अमरलाल चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील रामनगर (सूलगढ़) के प्रकरण क्रमांक ०९। अ। १२। ११-१२ में पारित आदेश दिनांक २८-६-१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सूलगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ५-३-१९ को कलेक्टर सूलगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

- १। ये कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
- २। ये कि अधीनस्थ न्यायालय ने मोके के विपरीत किए गये सीमांकन को

मारुदंसिंह